

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी बिरकोना पहुँच मार्ग ग्राम, पोस्ट बिरकोना फोन 07752-643644, 213073 फैक्स

Web site: www.pssou.ac.in, Email-registrar@pssou.ac.in

क्र / भंडार / क्रय / 2015

बिलासपुर दिनांक / / 2015

// अधिसूचना //

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की 40 वीं बैठक दिनांक 26.05.2015 के प्रस्ताव क्रमांक 04 में "विश्वविद्यालय वाहन नीलामी नियम, 2015" का अनुमोदन किया गया।

अतः "विश्वविद्यालय वाहन नीलामी नियम, 2015" तत्काल प्रभावशील माना जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. 1524/भंडार/क्रय/ 2015

बिलासपुर दिनांक 04 / 06 / 2015

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव कुलपति, मा. कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. वाहन प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. भण्डार प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

कुलसचिव 04/06/15

o/c

वाहन नीलामी नियम, 2015

(Refer Section Statutes No 3(A))

1. वाहन की आयु सीमा -

- (1) हल्के वाहन - जीप 1,50,000 कि.मी. एम्बेसडर कार एवं अन्य 1,50,000 कि.मी. या 5 वर्ष पूर्ण होने पर।
- (2) भारी वाहन - टाटा मर्सडीज ट्रक/बस 2,00,000 कि.मी. अन्य भारी वाहन 2,00,000 कि.मी. या 5 वर्ष पूर्ण होने पर।
- (3) मटोडोर, पिकअप, बेडफोर्ड, डाज पिकअप - 1,50,000 कि.मी. या या 5 वर्ष पूर्ण होने पर।

वाहनों को राइट अप करने का अधिकार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् को होगा। यह भी कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् विशेष परिस्थिति में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण नहीं होने पर भी किसी वाहन को राइट अप कर सकती है।

2. वाहनों का मूल्य निर्धारण -

नीलामी योग्य वाहनों का आपसेट मूल्य/न्यूनतम मूल्य (नीलामी मूल्य) की अनुशंसा हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर या सार्वजनिक क्षेत्र के शासकीय उपक्रम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत निरीक्षक/सर्वेक्षक (Surveyor) अधिकृत होगा। वाहन मूल्य निर्धारण किये जाने संबंधी जांच प्रतिवेदन का निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा।

3. नीलामी हेतु समिति का गठन -

वाहनों के नीलामी हेतु समिति का गठन किया जा सकेगा। इस समिति में विश्वविद्यालय के कुलसचिव पदेन अध्यक्ष होंगे। सदस्य के रूप में वित्त अधिकारी, वाहन प्रभारी तथा कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य होंगे।

4. निविदा/नीलामी में भाग लेने हेतु योग्यता -

निविदा/नीलामी प्रतियोगिता में निम्नानुसार व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो -

4.1 भारत का नागरिक हो।

सुपरीमा
04/06/2015

REGISTRAR
Dr. P. K. Sharma (Registrar)

- 4.2 इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों से रक्त संबंध (Blood relation) नहीं हो।
- 4.3 निविदा में जितनी राशि अंकिता लगाई जा रही है, वह भारत सरकार के आयकर कानून के दायरे में हो तथा नियमानुसार हो।

5. निविदा/नीलामी की प्रक्रिया –

नीलामी हेतु स्थानीय समाचार पत्र में संक्षिप्त निविदा प्रकाशित कराई जायेगी। निविदा एवं निविदा फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी तथा विश्वविद्यालय मुख्यालय के सूचना पटल में चस्पा की जायेगी। निविदा सूचना एवं निविदा फार्म का प्रारूप संलग्न है।

निविदाएं खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। जो प्रतिनिधि उपस्थित हो उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावे।

वाहन नीलामी समिति वाहन के नीलामी मूल्य का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं तो पुनः निविदा भी बलाई जा सकती है।

----- 000 -----

Dr. P. S. Sharma
06/06/2015
REGISTRAR
Pt. S. S. Sharma (Open)
University of Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

परिशिष्ट-1

निविदा सूचना का प्रारूप

निविदा विज्ञप्ति क्र. _____

दिनांक _____

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर से विश्वविद्यालय के वाहन क्रमांक _____ जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षकर्त्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर या वेबसाइट www.pssou.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि _____, समय _____

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि _____, समय _____

निविदा खोलने की तिथि _____, समय _____

कुलसचिव

परिशिष्ट-दो

निविदा फार्म का प्रारूप

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

निविदा प्रपत्र

क्रमांक :

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय : वाहन नीलामी हेतु निविदा दर विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा क्रमांक _____, बिलासपुर, दिनांक _____ के संबंध में निवेदन है कि मुझे वाहन नीलामी क्रय हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई समस्त शर्तें क्रमांक 01 से 09 तक मान्य हैं अतः वाहन के नीलामी क्रय हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. निविदाकर्ता का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल नंबर _____

2. कुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम से देय अमानत राशि रुपये 5,000/- का कास्ट बैंक ड्राफ्ट क्रमांक व बैंक का नाम एवं दिनांक _____

3. वाहन का मूल्य -

वाहन का नाम/क्रमांक	दर (रुपये में) अंको एवं शब्दों में उल्लेख करें	अन्य विवरण

निम्नांकित प्रविष्टियों के साथ सत्यापित छायाप्रति (निम्न में से जो भी लागू हो) निविदा के साथ संलग्न करें।

- (क) गत वर्ष की आय कर विवरणिका / विक्रयकर विवरणिका _____
- (ख) पैन नंबर _____

5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र की प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम _____

पता एवं दूरभाष / मोबाइल नंबर _____

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ पृथक से एक अन्य सील बंद लिफाफे में विज्ञापनानुसार अमानत राशि रुपये 5,000/- का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी कार्ड बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, प्रो. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2- विज्ञापन सूचना में दी गई दिनांक एवं समय के अंदर, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निविदा प्रपत्र में ही पूर्ण रूप से भरी बंद निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी कारण से निविदा प्राप्त होने में डाक से होने वाले विलंब की जवाबदेही विश्वविद्यालय की नहीं होगी। जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा मूलतः निविदा कर्त्ता को वापस लौटा दी जायेगी।
- 3- निविदा कर्त्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि शर्तानुसार समय-सीमा समाप्ति पश्चात् निविदाकर्त्ता द्वारा आवेदन करने पर निविदाकर्त्ता को नियमानुसार वापस कर दी जावेगी।
- 4- अंतिम रूप से निविदा स्वीकार होने के पूर्व यदि निविदाकर्त्ता निविदा वापस लेना चाहे अथवा जिनकी दरें समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होती हैं तो ऐसे समस्त निविदाकर्त्ताओं की अमानत राशि, निविदाकर्त्ता द्वारा कुलसचिव को आवेदन करने पर, बिना किसी ब्याज के नियमानुसार वापस लौटा दी जावेगी।
- 5- गत वर्ष की आय कर विवरणिका, पेन क्रमांक की सत्यापित छायाप्रति (आवश्यकतानुसार) निविदा के साथ निविदाकर्त्ता को संलग्न करनी होगी।
- 6- निविदा में दर्शायी गई दरों में (Over writing) होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। दरों को अंको एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य है।

- 7- उपरोक्त नियम एवं शर्तों को विश्वविद्यालय हित में शिथिल करने या परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलसचिव, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8- किसी भी विवाद की स्थिति में पहली अपील कुलसचिव, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को निविदा खोलने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर तथा द्वितीय अपील दो सप्ताह के अंदर कुलपति महोदय, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को किया जा सकता है। कुलपति जी, निर्णय हेतु, प्रकरण किसी भी आरबीट्रेटर को भेज सकेंगे (आरबीट्रेडेशन एक्ट के अनुसार)। कुलपति जी के स्वयं के निर्णय या आरबीट्रेटर का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं निविदा कर्ता पर बाध्य होगा।
- 9- न्यायालयीन विवाद की स्थिति में बिलासपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।

कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

// घोषणा //

मैंने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ दी गई समस्त नियम एवं शर्तें सरल क्रमांक 01 से लेकर 09 तक का अवलोकन उपरांत निविदा की दरें (विश्वविद्यालय की समस्त नियम एवं शर्तों के साथ) भरी गयी है। मुझे समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं एवं मुझ पर बंधनकारी हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

पता एवं दूरभाष / मोबाइल नंबर